न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2018/00317

1. रामदयाल आत्मज लटूर जी ।
2. सत्यनारायण आत्मज गोपाल जी ।
3. रामप्रसाद आत्मज गोबरी लाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम बिसलाई तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. केसर पत्नी रामकरण पुत्री सुन्दरा जाति मीणा निवासी ग्राम मूण्डला तहसील दीगोद जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. मांगीलाल आत्मज रामकरण
   1/2. गोपाल आत्मज रामकरण
   1/3. बाबूलाल आत्मज रामकरण
2. महावीर आत्मज रामचरण जी जाति मीणा निवासी ग्राम ख्यावदा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. मथुरी बेवा लटूर जी जाति मीणा ।
4. वीरम आत्मज लटूर जी जाति मीणा निवासीगण ग्राम बिसलाई तहसील दीगोद जिला कोटा ।
5. मंजू पुत्री लटूर जी पत्नी रामकुमार जाति मीणा निवासी ग्राम बम्बूलिया रावतान तहसील दीगोद जिला कोटा ।
6. बद्री पुत्री लटूर जी पत्नी रामस्वरूप जाति मीणा निवासी ग्राम पापरली तहसील मांगरोल जिला बारां ।
7. रूकमणी पुत्री गोपाल ।
8. केदारी बाई पुत्री गोपाल ।
9. राजू बाई पुत्री गोपाल ।
10. संजू बाई पुत्री गोपाल ।
11. मनभर बाई पुत्री गोपाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम बिसलाई तहसील दीगोद जिला कोटा ।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री ओम प्रकाश नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 03 लगायत 11 की ओर से

निर्णय

दिनांकः 07.12.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.04.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 92ए, 88 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया । उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर कथन किया कि ग्राम बिसलाई तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 193 की 1.80 हैक्टर व खसरा नम्बर 231 की 1.33 हैक्टर कुल 02 किता की 3.13 हैकटर भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि है जिस पर प्रार्थीगण व उनके पूर्वज संवत् 2013 से यानि 57 वर्ष से निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । पक्षकारान जाति से मीणा हैं और मीणा जाति पर हिन्दू उत्तराधिकार लागू नहीं होता है किन्तु इसके बावजूद भी प्रतिपक्षी क्रम 01 ने सेटलमेंट वालों से मिलकर उक्त भूमि अपने नाम खाते में दर्ज करा लिया जबकि उक्त भूमि पर कभी भी अप्रार्थी क्रम 01 का कब्जा नहीं रहा है । प्रतिपक्षी क्रम 01 के नाम उक्त भूमि दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिपक्षी क्रम 01 उक्त भूमि को रहन, बेचान करने, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा कर बेदखल करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के खिलाफ इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि ताफैसला वाद अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द, रहन, बेचान व अन्तरण नहीं करें तथा मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अप्रार्थी क्रम 01 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26.04.2018 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.04.2018 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के कब्जे काश्त में चली आ रही है । उक्त भूमि से रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है । उक्त भूमि पर संवत् 2013 से अपीलान्ट के पूर्वज निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । पक्षकारान जाति से मीणा होने से रेस्पोडेन्ट क्रम 01 का वादग्रस्त आराजी में कोई अधिकार एवं स्वत्व पैदा नहीं होता है । सुन्दरा जी मृत्यु के समय

रेस्पोडेन्ट क्रम 01 विवाहिता थी और पुरानी हिन्दू विधि के अन्तर्गत विवाहिता महिला को अपने पिता की सम्पत्ति में कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता है । गोपाल आत्मज गोबरी लाल का स्वर्गवास हो जाने से उसके वारिसान अपीलान्ट क्रम 2 व रेस्पोडेन्ट क्रम 07 लगायत 11 एक मात्र वारिसान हैं । अपीलान्ट के साथ रेस्पोडेन्ट क्रम 03 लगायत 11 उपस्थित नहीं होने से रेस्पोडेन्ट बनाया गया है । इसके विरूद्ध कोई प्रभावी सहायता नहीं चाही गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.04.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट काबिज काश्त है । इनका रेस्पोडेन्टगण से कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा है । पक्षकारान जाति से मीणा, हैं । रेस्पोडेन्ट क्रम 01 का वादग्रस्त आराजी में कोई स्वत्व पैदा नहीं होता है । रेस्पोडेन्ट के द्वारा पूर्व में अन्तर्गत धारा 188 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को तहत दावा पेश किया था जो अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गया था । पक्षकारान पुरानी हिन्दू विधि से शासित होते हैं । सुन्दरा की मृत्यु के समय रेस्पोडेन्ट विवाहित थी उसका अपने पिता की सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं था । अपीलान्ट क्रम 02 रेस्पोडेन्ट क्रल 7 लगायत 11 गोबरी लाल के वारिस हैं । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.04.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट क्रम 03 लगायत 11 के लायक अधिवक्ता ने अपील अपीलान्ट स्वीकार करने में अपने सहमति व्यक्त की ।

10. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 का पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया ।

11. हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में केसर बाई के द्वारा पेश किये दावे की आदेशिकाओं की प्रमाणित प्रतियॉ हैं जिसके अनुसार केसरबाई का दावा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया है । वादिनी केसर बाई के द्वारा सहायक कलक्टर कोटा में पेश किया गया दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की प्रमाणित प्रति, जवाबदावे की प्रमाणित प्रति, कायम की गई तनकीयात की प्रमाणित प्रति, केसर बाई के द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति, गोबरी लाल व लटूर लाल के द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र मीमो की प्रमाणित प्रति, बयान रामप्रताप की प्रमाणित प्रति, नारायण के बयानों की प्रमाणित प्रति । इसके अलावा दावे में पेश किये गये अन्य दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतियॉ भी पेश की गई हैं । दावा संख्या 20/93 की आदेशिकाओं की प्रमाणित प्रतियॉ, केसरबाई के द्वारा अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत लटूर एवं गोबरी लाल के विरूद्ध पेश किये गये

दावे की प्रमाणित प्रति, जवाबदावे की प्रमाणित प्रति, कायम की गई तनकीयात एवं शपथपत्रों की प्रमाणित प्रतियॉ पेश किये गये हैं । पेश किये गये दस्तावेजात न्यायालय की आदेशिकाओं एवं न्यायालय में पेश किये दावे एवं जवाबदावे की प्रमाणित प्रतियॉ है जिनकी विश्वसनीयता पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण का एक दावा रेस्पोडेन्टगण के खिलाफ अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है और यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजी है । पक्षकारान जाति से मीणा हैं प्रतिपक्षी क्रम 1 ने सेटलमेंट से मिलकर यह आराजी अपने नाम दर्ज करवा ली है जब कि आराजी पर उनका कब्जा नहीं है । अतः स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे ।

13. पत्रावली के साथ नकल जमाबन्दी संलग्न है उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी के खातेदार केसर जोजे रामकरण दर्ज है । प्रार्थीगण का यह कथन है कि पक्षकारान ओल्ड हिन्दू लॉ से शासित हैं । केसर सुन्दरा की विवाहित पुत्री है इस कारण वादग्रस्त आराजी में उसका कोई अधिकार नहीं है । हम विद्वान् अपीलान्ट के इस कथन से सहमत नहीं हैं । यद्यपि पक्षकारान ओल्ड हिन्दू लॉ से शासित होते हैं परन्तु सुन्दरा के कोई पुत्र नहीं है उनके एक मात्र पुत्री केसर प्रतिपक्षीक्रम 01 है । ऐसी स्थिति में जब सुन्दरा की पुत्री जीवित है तो प्रार्थीगण जो कि सुन्दरा के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी नहीं हैं, उनका ओल्ड हिन्दू लॉ के हिसाब से भी प्रथमदृष्टया वादग्रस्त आराजी में कोई स्वत्व निहित नहीं है । यद्यपि पक्षकारान के अधिकार एवं स्वत्व मूल दावे में साक्ष्य के दौरान तय होगे इस स्टेज पर नहीं । इस स्टेज पर रेस्पोडेन्ट क्रम 01 वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक हैं । तद्नुसार प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलान्ट के पक्ष में नहीं वरन् रेस्पोडेन्ट क्रम 01 के पक्ष में पाया जाता है । सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति भी अपीलान्टगण के पक्ष में तय नहीं पायी जाती है । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र विधि सम्मत रूप से खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.04.2018 बहाल रखा जाता है ।

15. निर्णय आज दिनांक 07.12.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

7/12/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा